तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **राजेश्वरी भटनागर** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण)** सू.अ. अपील संख्या 152/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/2024	अपीलार्थी राजेश्वरी भटनागर निवासी 26, अम्बे कॉलोनी सेक्टर नं. 14, गोवर्धन विलास, उदयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.07.2024 को स्व. श्री नरेश चन्द्र भटनागर के जीपीएफ खाता में अवशेष राशि से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर–द्वितीय, जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 538 दिनांक 11.11.2024 से बतलाया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, फलौदी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, ना कि इस कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में आना नही पाया गया तथा प्रार्थी की सूचना राजकीय महाविद्यालय फलौदी एवं संबंधित कोष कार्यालय से संबंधित है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त ज़िला कलक्टर द्वितीय/जोधपुर ग्रामीण) से संबंधित न होकर लोक सूचना अधिकारी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, फलौदी से संबंधित होने तथा सूचना का क्षेत्राधिकार जिला फलौदी होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। प्रार्थी संबंधित जिलें तथा संबंधित विभाग के प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण	

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.11.2_ 17:59:06 IST
Reason: Approved